



वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/ 522

**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु)/अ.अ.(आर.ए.-सी)/फा /प्रे. 2363 दि. 16.12.09


**आदेश**

**विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।**

कृषि कनेक्शनो के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/499) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। उक्त योजना में आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/505), क्रमांक 1799 दिनांक 18.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/507), क्रमांक 2033 दिनांक 20.10.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/516) एवं क्रमांक 2123 दिनांक 04.11.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/519) के द्वारा आंशिक संशोधन किये गये थे। यह योजना दिनांक 30 नवम्बर, 2009 तक प्रभावी थी।

उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को दिनांक **31.12.09** तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही रहेंगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से  
  
(एम.एल.त्रिपाठी)


उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट [www.jdvvn.com/www.rajenergy.com](http://www.jdvvn.com/www.rajenergy.com) पर भी उपलब्ध है।

पेज 02 का 01

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (जोधपुर संभाग/एमएम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सभागीय मुख्य अभियन्ता (बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रा.वे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रा.वे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी/आर.डी.पी.पी.सी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रा.वे.सहायक उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम
- अधिशाषी अभियन्ता ( आई.टी. ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं)।

  
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एण्ड सी.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 02